उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस पिटीशन नं0-01/1996-97

जयप्रकाश रविदास

बनाम्

मो0 लाहा देवी एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक	
18/06/-	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया। वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक जयप्रकाश रविदास, पिता–स्व0 वाजीत रविदास, सा0–महागामा, अंचल–महागामा, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने बिहार विशेषाधिकार प्रक्षय प्राप्त अधिनियम 1947 की धारा 21 के तहत आवेदन दायर किया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के पिता वाजीत रविदास को मौजा–महागामा के अन्तर्गत दाग नं0–1029 के अन्तर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन बिहार विशेषाधिकार प्रक्षय प्राप्त अधिनियम 1947 के तहत वासगीत पर्चा दिया गया है। उक्त दाग नं0–1029 जिसका कुल रकवा 06–09–18 धुर जमीन है, गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कामत कहकर दर्ज है। दाग नं0–1029 में से रकवा 00–04–00 धुर जमीन बैकुण्ठ रविदास के साथ वर्ष 1954 ई0 में तत्कालिन जमीनदार के द्वारा बंदोवस्ती की गयी है। उक्त दाग नं0–1029 के अन्तर्गत बैकुण्ठ रविदास के साथ की गयी बंदोवस्ती जमीन में ही रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर पूर्व से ही आवेदक के पिता का मकान बना हुआ था एवं बैकुण्ठ रविदास के सहमति से अंचल अधिकारी, महागामा के केश नं0–20/1975–76 के द्वारा उक्त दाग नं0–1029 के अन्तर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन का वासगीत पर्चा आवेदक के पिता को दिया गया। आवेदक की पिता की वर्ष 1976 ई0 में मृत्यु हो गयी। कालान्तर में उक्त रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर आवेदक एवं विश्वनाथ रविदास के नाम से इंदिरा आवास निर्माण हेतु स्वीकृति मिला एवं आवेदक अग्रिम लेकर उक्त जमीन पर बने पुराने मकान को तोड़कर नया इंदिरा आवास का निर्माण शुरू किया, तब विपक्षी के द्वारा निर्माण कार्य में बाधा डालने लगा। जबकि शुरू से ही उक्त रकवा 00–04–00 धुर के अंतर्गत रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर आवेदक के पिता का दखल रहा था तथा रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर बैकुण्ठ

रविदास एवं सैकुण्ठ रविदास का दखल रहा है। उन्होंने वाजीत रविदास के पक्ष में निर्गत वासगीत पर्चा को सम्पुष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

प्रक्रिया चलने के दौरान विपक्षी सं0–1 बैकुण्ठ रविदास की मृत्यु के पश्चात् मो0 लाहा, पति–स्व0 बैकुण्ठ रविदास वो उचित रविदास वो सज्जन रविदास वो मजनू रविदास, पे0–स्व0 बैकुण्ठ रविदास को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया एवं विपक्षी सं0–3 अकु रविदास की मृत्यु के पश्चात् बिरजू रविदास वो सरजू रविदास, पे0–स्व0 अकु रविदास को प्रतिस्थानी पक्षकार बनाया गया।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–महागामा थाना नं0–700 खाता नं0–200 दाग नं0–1029 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में कामत कहकर दर्ज है। उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन पूर्व जमीनदार ने बैकुण्ठ रविदास, पिता–बौनू रविदास के नाम से 1954 ई0 में हुकुमनामा के द्वारा बंदोवस्त कर दिया था। बंदोवस्ती के बाद से आज तक उक्त दाग नं0 की जमीन पर बैकुण्ठ रविदास अपने परिवार से साथ निर्विरोध रूप से दखलकार चले आ रहे हैं और घर बनाकर परिवार के साथ वसोवास कर रहे हैं। बंदोवस्ती के तुरंत बाद अंचल अधिकारी ने उक्त जमीन पर फिक्सेसन केश नं0–148/60–61 लगान धार्य करने हेतु वाद बैकुण्ठ रविदास पर चलाया था तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत नोटिश के प्राप्ति के पश्चात् बैकुण्ठ रविदास अंचल अधिकारी, महागामा के कार्यालय में सदेह उपस्थित हुए तथा दखल संबंधी जाँच हल्का कर्मचारी से कराकर सभी बिन्दुओं पर पूर्ण रूप से संतुष्ठ होकर एवं बैकुण्ठ रविदास के द्वारा दाखिल कागजातों के अवलोकन के पश्चात् ही अंचलाधिकारी ने उक्त जमीन पर बैकुण्ठ रविदास के दखल को जायज और नियमानुकूल पाकर लगान धार्य किया तथा संचिका को संचित किया था। मौजा–महागामा स्थित दाग नं0–1029 सर्वे खतियान के जमाबंदी नं0–200 के अन्तर्गत कामत कहकर दर्ज है। जिसे पूर्व के जमीनदार वंशीधर ढनढनियाँ के द्वारा बैकुण्ठ रविदास को बंदोवस्त किया गया है। बंदोवस्ती पट्टा में चौहद्दी भी दर्ज है। बैकुण्ठ रविदास के साथ बंदोवस्त किया गया, जो पंजी–2 में दर्ज है। दाग नं0–1029/43 रकवा 00–04–00 धुर जमीन पर वाजीत रविदास का कोई हक नहीं बनता है। वाजीत रविदास द्वारा वासगीत पर्चा की बात करना एक साजिस और छलावा है। अंचल अमीन के नापी प्रतिवेदन के अनुसार जय प्रकाश रविदास, पे0–वाजीत रविदास के द्वारा वासगीत पर्चा के आधार पर इंदिरा आवास का निर्माण कार्य दाग नं0–1029/43 पर किया जाना सरासर नाजायज और गैर कानूनी है। क्योंकि उक्त दाग की जमीन पूर्णतः मो0 लाहा

देवी के पति स्व0 बैकुण्ठ रविदास को बंदोवस्त 1954 ई0 में ही पूर्व जमीनदार द्वारा किया गया है, जिस पर वर्तमान में मो0 लाहा देवी अपने–अपने बाल बच्चों के साथ दखलकार हैं।

अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–376/रा0 दिनांक–03.11.97 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–महागामा दाग नं0–1029/43 रकवा 00–04–00 धुर जमीन पर वाजीत रविदास का कोई हक नहीं बनता है। पूर्व जमीनदार द्वारा इस जमीन को बैकुण्ठ रविदास, पे0–बौनू रविदास को बंदोवस्त दिया गया था। वर्तमान में आवेदक जय प्रकाश रविदास अपने चाचा विश्वनाथ हरिजन के साथ उसी भूमि पर सपरिवार वास कर रहे हैं। जय प्रकाश रविदस, पे0–वाजीत रविदास के द्वारा इंदिरा आवास का निर्माण कार्य दाग नं0–1029/43 पर किया जा रहा है, जो बैकुण्ठ रविदास की बंदोवस्त भूमि है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने मौजा–महागामा के अन्तर्गत दाग नं0–1029 रकवा 00–02–00 धुर जमीन पर वासगीत पर्चा के आधार पर दावा किया गया है एवं विपक्षी ने उक्त दाग नं0–1029 के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन भूतपूर्व जमीनदार के द्वारा बंदोवस्ती के आधार पर दावा किया है। आवेदक ने उक्त दाग नम्बर के अन्तर्गत रकवा 00–04–00 धुर जमीन में से रकवा 00–02–00 धुर जमीन अंचल अधिकारी, महागामा के केश नं0–20/75–76 के द्वारा बिहार विशेषाधिकार प्रक्षय प्राप्त अधिनियम 1947 के तहत वासगीत पर्चा के आधार पर दावा किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में वासगीत पर्चा को सम्पूष्ट करने की बात कही गयी है। वासगीत पर्चा की सम्पूष्टि करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकार्य योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17/06/12

उपायुक्त,
गोड्डा।

17/06/12

उपायुक्त,
गोड्डा।

सी० पी० – 32
17.06.22

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:37:01 +05:30
Location: 172.17.208.1